भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1023

10.02.2025 को उत्तर के लिए

छोटे शहरों में प्रदूषण

1023. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद :
श्री देवेश शाक्य :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के छोटे शहरों में प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा किये गए/किए जाने वाले प्रयासों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;
(ख) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा वायु, जल और मृदा-प्रदूषण करने वाली कंपनियों पर रोक लगाने के लिए कोई कार्रवाई की गई है;
(ग) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश विशेषकर एटा और कासगंज जिलों के कारखानों सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(घ) वायु, जल और मृदा-प्रदूषण को रोकने के लिए निर्धारित मानदण्डों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) औद्योगिक क्षेत्रों विशेषकर छोटे शहरों में प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए/किए जाने वाले प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ)

सरकार ने पर्यावरण की सुरक्षा और विभिन्न स्रोतों से होने वाले प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत विभिन्न उपबंधों को अधिनियमित किया है।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) को वर्ष 2019 में पूरे देश में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्यनीति के रूप में शुरू किया गया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने 10 लाख से अधिक आबादी और मानकों को पूरा न करने वाले 130 शहरों (पांच वर्षों के लिए लगातार राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) से अधिक दर्शाने वाले शहर) की पहचान की है। इन 130 शहरों में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 48 शहर, 3-10 लाख के बीच आबादी वाले 42 शहर और 3 लाख से कम आबादी वाले 40

शहर शामिल हैं। वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए मानकों को पूरा न करने वाले/10 लाख से अधिक आबादी वाले इन 130 शहरों में शहरी विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और कार्यान्वयन के लिए शुरू की गई हैं। एनसीएपी के तहत शहरों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु एक पोर्टल के रूप में मानकों को पूरा न करने वाले शहरों में वायु-प्रदूषण के विनियमन के लिए पोर्टल ''प्राण'' विकसित किया गया है। 130 शहरों में से 95 शहरों में वित्तीय वर्ष 2017-18 के स्तर की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में वार्षिक विविक्त कण ($पीएम_{10}$) सांद्रता के मामले में वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया है।

सीपीसीबी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के साथ राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी) के अंतर्गत पूरे देश में 28 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए 419 शहरों में 966 मैनुअल स्टेशनों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 84 एनएएमपी स्टेशन हैं।

जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए, जल अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1)(ख) के तहत एसपीसीबी/पीसीसी को मलजल शोधन के लिए अवसंरचना विकसित करने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में संबंधित एजेंसियों को निर्देशित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सीपीसीबी ने जल संसाधनों की पानी की गुणवत्ता की स्थिति का आकलन करने और जल निकायों में प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण को सुकर बनाने के लिए एसपीसीबी के सहयोग से राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क (एनडब्ल्यूएमपी) की स्थापना की है। वर्तमान में एनडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत एसपीसीबी/पीसीसी के सहयोग से देश में 4736 स्थानों पर जलीय संसाधनों की पनी की गुणवत्ता की निगरानी की जाती है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न जल निकायों में 163 स्थानों पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का राज्य-वार ब्यौरा **संलग्नक-I** में दिया गया है।

छोटे शहरों सहित देश में औद्योगिक प्रदूषण के निवारण के लिए सरकार ने निम्नलिखित पहलें की है:

i. ई (पी) नियम, 1986 की अनुसूची-I के अंतर्गत 79 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन अथवा निस्सारण हेतु उद्योग विशिष्ट मानक और अनुसूची-VI के अंतर्गत सामान्य मानक अधिसूचित किए गए हैं।
ii. एसपीसीबी/पीसीसी राज्यों में उद्योगों को स्थापित करने हेतु सहमति/प्रचालन करने और प्राधिकार देने के लिए सहमति जारी करते हैं। एसपीसीबी / पीसीसी निर्धारित मानदंडों के अनुसार औद्योगिक बहिस्त्राव के अनुपालन की निगरानी करते हैं। अनुपालन न करने की स्थिति में जल अधिनियम, 1974, वायु अधिनियम और ई (पी) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अंतर्गत उद्योगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।
iii. सीपीसीबी ने पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन के सत्यापन के लिए क्रमशः 6 महीने, 1 वर्ष और 2 वर्ष की न्यूनतम निरीक्षण आवृत्ति पर लाल, नारंगी और हरे रंग की श्रेणियों के उद्योगों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त, एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा प्रदूषण की उच्च संभावना वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों, मलजल शोधन संयंत्र (एसटीपी), साझा बहिस्त्राव शोधन संयंत्र (सीईटीपी) और सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) जैसी साझा अपशिष्ट प्रबंधन/शोधन सुविधाओं का निरीक्षण तिमाही आधार पर किया जाता है।
iv. एसपीसीबी/पीसीसी के माध्यम से की जा रही नियमित निगरानी के अलावा, सीपीसीबी इन इकाइयों में स्थापित ऑनलाइन सतत बहिस्त्राव/उत्सर्जन निगरानी प्रणालियों (ओसीईएमएस) के माध्यम से दी गई चेतावनियों की संख्या की अधिकता के आधार पर प्रदूषण की उच्च संभावना वाले उद्योगों और साझा सुविधाओं की 17 श्रेणियों का यादृच्छिक निरीक्षण भी करता है। पर्यावरणीय मानदण्डों का अनुपालन न किए जाने के मामले

में, पर्यावरणीय अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। जनवरी 2020 से जनवरी 2025 के दौरान, उत्तर प्रदेश राज्य में सीपीसीबी द्वारा 39 उद्योगों का निरीक्षण किया गया था, और इनमें एटा तथा कासगंज जिले में स्थित कोई भी उद्योग शामिल नहीं था। इन उद्योगों में से, 16 इकाइयां पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन नहीं कर रही थीं और अनुपालन न करने वाले उद्योगों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की गई है। पिछले पांच वर्षों के दौरान निरीक्षण की गई इकाइयों की राज्य-वार संख्या और अनुपालन न करने वाले उद्योगों के संबंध में की गई कार्रवाई **संलग्नक-।।** में दी गई है।

वर्ष 2009 के दौरान, सीपीसीबी ने प्रदूषण स्रोत, संवहन माध्यम और रिसेप्टर के एल्गोरिथ्म का अनुसरण करते हुए औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरणीय गुणवत्ता को चिह्नित करने के लिए व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक (सीईपीआई) तैयार किया। सीईपीआई कार्यढांचे को अप्रैल, 2016 में संशोधित किया गया था और सीपीसीबी ने एसपीसीबी के समन्वय से वर्ष 2018 के दौरान देश भर में 100 प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों में सीईपीआई स्कोर के आकलन के लिए पर्यावरणीय गुणवत्ता निगरानी आयोजित की थी। संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी ने अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों (सीईपीआई स्कोर 70 और अधिक) और गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों (सीईपीआई स्कोर 60 से 70 के बीच) के लिए कार्य योजना तैयार की है। सीपीसीबी ने एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा कार्य योजना की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए सीईपीआई पोर्टल भी विकसित किया है।

*****

संलग्नक-I

राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नदी	झील	तालाब	टंकी	आर्द्रभूमि	जलाशय	नहर	समुद्रतट	समुद्री	तटवर्ती	क्रीक	समुद्र	नाली	एसटीपी	जल शोधन संयंत्र (अशुद्ध पानी)	भूजल	कुल योग
आंध्र प्रदेश	45	16	-	3	21	5	5	9	7	-	1	10	4	1	-	33	**160**
अरुणाचल प्रदेश	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**17**
असम	110	34	24	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	**237**
बिहार	95	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	**170**
चंडीगढ़	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	7	**11**
छत्तीसगढ	29	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	**39**
सीपीसीबी, दिल्ली	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	**16**
दमन और दीव,	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	**24**
दादरा और नगर हवेली	7	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	26	-	6	44	**88**
दिल्ली	32	44	-	-	-	2	3	20	-	-	4	-	-	1	-	9	**115**
गोवा	60	17	2	-	3	4	3	-	-	-	3	-	-	2	-	88	**182**
गुजरात	12	4	1	-	1	-	14	-	-	-	-	-	1	-	3	29	**65**
हरियाणा	149	5	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	32	-	-	55	**243**
हिमाचल प्रदेश	58	33	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	23	**124**
जम्मू एवं कश्मीर	63	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	**74**
झारखंड	118	126	1	67	-	6	-	-	-	-	-	5	-	-	-	2	**325**
कर्नाटक	130	29	7	-	-	-	3	3	-	-	-	2	1	1	-	35	**211**
केरल	4	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	**9**
लद्दाख	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	**45**
लक्षद्वीप	160	20	11	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	**254**
मध्य प्रदेश	156	1	-	-	-	-	-	-	-	-	20	15	10	-	-	50	**252**
महाराष्ट्र	44	5	14	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	10	**75**
मणिपुर	64	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	**84**
मेघालय	67	6	13	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	**121**
मिजोरम	16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	**28**
नगालैंड	135	7	8	-	-	1	9	-	89	-	1	-	3	3	-	90	**346**

ओडिशा	6	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	22	**34**
पुदुचेरी	58	17	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	10	8	-	46	**147**
पंजाब	28	27	2	-	-	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	131	**199**
राजस्थान	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**7**
आरडी_बेंगलुरु	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4**
आरडी_भोपाल	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**24**
आरडी_चंडीगढ़	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**9**
आरडी_कोलकाता	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**19**
आरडी_लखनऊ	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6**
आरडी_पुणे	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5**
आरडी_शिलांग	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6**
आरडी_वडोदरा	28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**30**
सिक्किम	71	8	-	1	13	-	2	2	-	-	1	31	4	16	-	22	**171**
तमिलनाडु	49	100	29	30	-	7	-	-	-	-	-	-	2	8	-	48	**273**
तेलंगाना	38	8	10	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	57	**120**
त्रिपुरा	108	7	2	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	39	**163**
उत्तर प्रदेश	36	2	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	19	**61**
उत्तराखंड	56	14	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	68	**143**
कुल योग	**2155**	**558**	**141**	**102**	**56**	**52**	**63**	**34**	**97**	**3**	**30**	**63**	**98**	**40**	**11**	**1233**	**4736**

संलग्नक-II

जनवरी 2020 से जनवरी 2025 तक ओसीईएमएस डेटा (एसएमएस अलर्ट) के आधार पर निरीक्षण किए गए प्रदूषण की उच्च संभावना वाले उद्योगों और साझा सुविधाओं की 17 श्रेणियों की राज्यवार स्थिति

(13.01.2025 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निरीक्षित उद्योगों की कुल संख्या	पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन न करने वाले उद्योगों की संख्या	उन उद्योगों की कुल संख्या जिन्हें ईपीए, 1986 की धारा 5 के तहत बंद करने के निर्देश दिए गए थे	उन उद्योगों की कुल संख्या जिनके लिए बंद करने के निर्देश हटा दिए गए हैं	उन उद्योगों की कुल संख्या जिन्हें ईपीए, 1986 की धारा 5 के तहत कारण बताओ नोटिस (एससीएन)/तकनीकी निर्देश जारी किए गए थे	सीपीसीबी के कारण बताओ नोटिस/ तकनीकी निदेशों का अनुपालन करने वाले उद्योगों की कुल संख्या	उन उद्योगों की संख्या जिन्हें पत्र के रूप में निर्देश जारी किए गए थे	सीपीसीबी के निर्देशों का अनुपालन करने वाले उद्योगों की संख्या	अनुपालन न करने वाली इकाइयों की संख्या जिनके लिए जल/वायु अधिनियम की धारा 18(1)(ख) के तहत एसपीसीबी/पीसीसी को आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए गए थे	(एसपीसीबी/ पीसीसी को धारा 18(1(ख) के तहत जारी) निदेशों का अनुपालन करने वाली इकाइयों की संख्या	निरीक्षण के दौरान अनुपालन न करते हुए लेकिन आज की तारीख तक अनुपालन करते हुए पाई गई इकाइयों की संख्या	उन उद्योगों की संख्या जिनके लिए कारण बताओ/सीपीसीबी के निदेश अभी भी लागू हैं।
		क	ख	ग	ड़	च	छ	ज	झ	ञ	ट	ट=घ+ड़+झ+ञ	ठ=ख-ट
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	15	7	0	0	5	2	1	0	1	0	2	5
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	असम	12	5	0	0	4	2	0	0	1	1	3	2
5	बिहार	5	2	1	1	0	0	1	1	0	0	2	0
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ	12	3	0	0	2	0	0	0	1	0	0	3
8	दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	4	4	0	0	0	0	3	1	1	0	1	3
10	गोवा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	गुजरात	41	21	2	2	13	7	0	0	6	0	9	12
12	हरियाणा	22	11	0	0	4	2	5	3	2	0	5	6

13	हिमाचल प्रदेश	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
14	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	झारखंड	8	2	0	0	2	2	0	0	0	0	2	0
16	कर्नाटक	28	18	3	3	8	4	2	2	5	0	9	9
17	केरल	7	4	0	0	1	0	0	0	3	1	1	3
18	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	महाराष्ट्र	44	29	3	3	14	4	2	2	10	0	9	20
22	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	मेघालय	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
24	मिजोरम	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	नगालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	13	3	0	0	3	2	0	0	0	0	2	1
27	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	पंजाब	5	4	0	0	1	1	3	1	0	0	2	2
29	राजस्थान	20	8	0	0	3	2	1	1	4	0	3	5
30	सिक्किम	5	5	0	0	4	3	0	0	1	1	4	1
31	तमिलनाडु	17	10	0	0	4	2	2	1	4	0	3	7
32	तेलंगाना	20	8	1	1	5	5	0	0	2	0	6	2
33	त्रिपुरा	3	2	0	0	2	2	0	0	0	0	2	0
34	उत्तर प्रदेश	39	16	0	0	13	3	2	0	1	0	3	13
35	उत्तराखंड	10	5	0	0	5	2	0	0	0	0	2	3
36	पश्चिम बंगाल	10	4	0	0	4	2	0	0	0	0	2	2
	कुल	**360**	**173**	**10**	**10**	**98**	**47**	**22**	**12**	**43**	**3**	**72**	**101**